न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, हरिद्वार।
वाद संख्या– 4019/2024
रजि0 संख्या–8307/2023
सरकार बनाम संदीप कुमार

अंतर्गत धारा–एम0वी0एक्ट
जिला– हरिद्वार

दिनांक–13.12.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दृष्टिगत हो रहा है कि पत्रावली में अंकित पते पर ही अभियुक्त को समन जारी किये गये है जिस पर यह आख्या प्राप्त हो रही है कि दिये गये पते पर उक्त व्यक्ति निवास नहीं करता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि न्यायालय जारी आदेशिकाओं की तामील चालान पर अंकित अधूरे/ गलत पते के कारण नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पत्रावली पर दिये गये पते के आधार पर अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के C.L. No. 8x/(d)-I-MISC/DR(I) 2013 दिनांकित 02.07.2013 के अनुसार ऐसे छोटे अपराध जिसमें अभियुक्त सही पता ना हो, उनको विधि अनुसार दाखिल दफतर किया जा सकता है, इस मामले में पुलिस आख्यानुसार अभियुक्त का सही नाम पता अंकित होना प्रतीत नहीं हो रहा है। मामला मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित है तथा लघु प्रकृति का है और लंबे अवधि नियत चल रहा है। अभियुक्त की उपस्थिति भविष्य में संभव प्रतीत नहीं होती है और अभियुक्त पर बार बार आदेशिका जारी करने से अनावश्यक रूप से शासकीय व्यय हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस वाद की कार्यवाही रोकते हुए पत्रावली को दाखिल दफतर किया जाता है। तद्नुसार धारा 258 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत मामले में कार्यवाही रोककर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है। इस पत्रावली की विनिष्टीकरण (Weeding) की कार्यवाही नहीं की जाये।

(रोहित जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम,
हरिद्वार